छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर

11 OCT 2019

छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 1978 (यथा संशोधित 2019)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में अस्पृश्यता निवारण के उद्धेश्य से सम्पन्न होने वाले अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ–**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 1978 (यथा संशोधित 2019) कहलायेंगें।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में रहेगा।
   (3) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उद्देश्य :–**
   अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में गैर अनुसूचित जाति युवक या युवती द्वारा अनुसूचित जाति के युवती या युवक से विवाह कर उठाये गये आदर्श कदम के फलस्वरूप उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित करना।

3. **परिभाषाएँ–**
   इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (क) ''शासन'' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है।
   (ख) ''कलेक्टर'' से आशय छत्तीसगढ़ के यथा उल्लेखित जिले के कलेक्टर से है।
   (ग) ''समिति'' से अभिप्रेत योजनान्तर्गत आदर्श दम्पत्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु गठित समिति से है।
   (घ) ''अनुसूचित जाति'' का अभिप्राय उन जातियों से है जो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित की गई है।
   (ड़) ''गैर अनुसूचित जाति'' से आशय **नियम (घ)** में सम्मिलित जातियों से भिन्न जातियों से है।
   (च) ''अंतर्जातीय विवाह'' से अभिप्राय ऐसे विवाह से है जिसमें अनुसूचित जाति के युवक अथवा युवती ने गैर अनुसूचित जाति की युवती अथवा युवक से विवाह किया है, जो हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत हो।
   (छ) ''दम्पत्तियों'' से आशय इस योजनान्तर्गत ऐसे पति–पत्नि से होगा, जिन्होंने उक्त नियम 3(च) के अनुसार वैध विवाह किया है और दोनों एक साथ रहते हुए सहर्ष दाम्पत्य जीवन अंगीकार किये हुए हैं।

4. **पात्रता–**

(i) अंतर्जातीय विवाह करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) आय सीमा का बंधन नहीं होगा।

(iii) अंतर्जातीय विवाह को हिन्दु मैरिज एक्ट, 1955 के तहत सक्षम अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत करना अनिवार्य है।

(iv) द्वितीय विवाह पर कोई राशि देय नहीं होगी। परंतु विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह करने पर वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र होगी बशर्ते दम्पत्ति में से किसी ने पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।

(v) दम्पत्ति में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नही हो। परंतु युवक की आयु 21 वर्ष तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

(vi) आवेदक दंपत्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना ('Dr. Ambedkar Scheme for Social integration through Intercaste Marriages) का अथवा छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में से किसी एक योजना का लाभ लेने का पात्र होगा।

(vii) दम्पत्ति में से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(viii) दम्पत्ति में से कोई भी छत्तीसगढ़ अथवा अन्य किसी भी राज्य से ऐसी किसी योजना से लाभांवित न हुआ हो।

5. **आवेदन पत्र –**

योजना में निहित लाभ प्राप्त करने के लिये संबंधित दम्पत्ति अपने आवेदन पत्र **(प्रारूप –"अ")** में निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे–

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र/अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगाः–

(i) **आवेदन का स्थान–** अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन दम्पत्ति में से जो अनुसूचित जाति वर्ग का है, जिन्होने छत्तीसगढ़ राज्य के जिस जिले से मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया होगा उसी जिले के संबंधित जिला कलेक्टर अथवा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।

(ii) **अंतर्जातीय विवाह प्रमाण पत्र** – हिन्दु मैरिज एक्ट, 1955 के तहत सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति साथ ही दम्पत्ति का स्वप्रमाणित संयुक्त छायाचित्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(iii) **जाति प्रमाण पत्र** – आवेदक दम्पत्ति में से अनुसूचित जाति सदस्य को अनुसूचित जाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति। गैर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष में से किसी एक से प्राप्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(iv) **निवासिता संबंधी प्रमाण पत्र**– आवेदक दम्पत्ति में से अनुसूचित जाति के व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी हो।

(v) **घोषणा पत्र** –दम्पत्ति द्वारा निर्धारित **प्रारूप "ब"** में आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

6. प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु समिति –

प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु निम्नानुसार समिति निर्धारित की जाती है–

1. कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी		अध्यक्ष
2. उप संचालक, समाज कल्याण विभाग	:	सदस्य
3. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास	:	सदस्य–सचिव

7. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी –

जिला कलेक्टर प्रोत्साहन राशि/पुरस्कार स्वीकृति हेतु सक्षम होंगे।

8. लाभ देने की प्रकिया –

1. पुरस्कार राशि –

(i) छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिसूचना दिनांक 13–04–2018 जारी होने के दिनांक से अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को पुरस्कार राशि 2,50,000/– रूपये (रूपये दो लाख पचास हजार) एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(ii) प्रोत्साहन राशि रूपये 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार मात्र.) प्रति दम्पत्ति उनसे भुगतान पूर्व रसीद रूपये 10–00 (दस रूपये) के नान–ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्राप्त होने पर रूपये 1.00 लाख (एक लाख मात्र) दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराया जायेगा। शेष राशि रूपये एक लाख पचास हजार दम्पत्ति के संयुक्त नाम एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के पद नाम के संयुक्त रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 वर्ष के लिये फिक्स डिपाजिट **(समय से पूर्व अदेय)** रखा जावेगा। एफडी संबंधित सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की शासकीय अभिरक्षा में रहेगी। एफडी की निर्धारित अवधि समाप्ति के अधिकतम दो वर्ष के भीतर दम्पत्ति द्वारा स्वयं उपस्थित होकर राशि प्राप्त की जाना होगी अन्यथा एफडी आहरित कर राशि शासकीय खजाने में जमा की जावेगी। परंतु दम्पत्ति में से किसी एक की मृत्यु की दशा में जीवित सदस्य को एफडी की राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

2. **प्रशंसा पत्र** – हितग्राही दम्पत्ति को उनके साहसपूर्ण कार्य के लिए गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय में 26 जनवरी को आयोजित समारोह में राज्य की ओर से सम्मानित किया जा सकेगा।

3. **यात्रा व्यय** – गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जिला मुख्यालय में आने जाने के यात्रा व्यय की पूर्ति दम्पत्तियों को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा की जायेगी।

9. **असत्य जानकारी हेतु कार्यवाही** :– यदि यह पाया जाता है कि दम्पत्ति द्वारा कोई झूठी जानकारी/कूट रचित जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत कर प्रोत्साहन राशि प्राप्त की गई है/प्रयास किया गया है, तो उनके विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए प्रदत्त राशि भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

11/10/19

(डी.डी.कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

पृ0क्रमांक/एफ–17–05/2009/25–2/ **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक** 11 OCT 2019

प्रतिलिपि :–

1. मान.मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नवा रायपुर अटल नगर।
3. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
8. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर।
9. निदेशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
11. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 005 सीजीओ टावर्स कवाडीगुडा, हैदराबाद–500 080
12. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर अटल नगर।
13. आयुक्त, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।
14. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
15. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
16. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर।
17. सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर।
18. सचिव, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर।
19. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
20. आर्डर बुक।

11/10/19

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

प्रारूप "अ"

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,

जिला.................................(छ.ग.)

1. आवेदक का नाम...
2. पिता का नाम ....
3. विवाह पूर्व पता ....
   ....
   ....
4. वर्तमान पता ....
   ....
   ....
5. मूल निवास का पता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
   ....
6. जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
7. जन्म तिथि– (प्रमाण पत्र/शैक्षणिक अभिलेख संलग्न करें)....................
   आयु –––– वर्ष.............माह...........दिन............
8. शैक्षणिक योग्यता– (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
   ....
9. यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त हो तो उल्लेख करें–
   ....
10. वर्तमान जीविकोपार्जन का साधन ....
    ....
11. वर्तमान मासिक आय रू.......................................
12. रोजगार/धंधे की भावी
    योजना/रूपरेखा–...
    ....
13. क्या यह प्रथम विवाह है ?
    (अ) हां या नहीं में लिखे...................

1. आवेदिका का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. विवाह पूर्व पता ....
   ....
   ....
4. वर्तमान पता ....
   ....
   ....
5. मूल निवास का पता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
   ....
6. जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें)...............................
7. जन्म तिथि– (प्रमाण पत्र/शैक्षणिक अभिलेख संलग्न करें)....................
   आयु –––– वर्ष.............माह...........दिन............
8. शैक्षणिक योग्यता– (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
   ....
9. यदि कोई प्रशिक्षण प्राप्त हो तो उल्लेख करें–
   ....
10. वर्तमान जीविकोपार्जन का साधन ....
    ....
11. वर्तमान मासिक आय रू.......................................
12. रोजगार/धंधे की भावी
    योजना/रूपरेखा–...
    ....
13. क्या यह प्रथम विवाह है ?
    (अ) हां या नहीं में लिखे...................

14. क्या इसके पूर्व अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि राज्य शासन/भारत सरकार से लिया गया है (हां या नहीं)..	14. क्या इसके पूर्व अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि राज्य शासन/भारत सरकार से लिया गया है (हां या नहीं)..

15. विवाह करने की तिथि– ....

16. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र क्र0........................दि0..................................(प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे)

17. संयुक्त छायाचित्र (संलग्न करें)..

हम सत्यनिष्ठा से प्रमाणित करते हैं कि–

1. उपरोक्त समस्त जानकारियाँ हमारी जानकारी में सत्य व प्रमाणित है।
2. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत जानकारी/अभिलेख/प्रमाण पत्र गलत/फर्जी/कूटरचित प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्रवाई का भागीदार रहेंगे तथा प्राप्त राशि हमसे वसूल की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर | आवेदिका के हस्ताक्षर

दिनांक ....

टीप :– आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची सहित उसकी छायाप्रतियाँ संलग्न करें।

पावती

श्री/श्रीमती...से अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आवेदन पत्र सहपत्रों सहित आज दिनांक ....को प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

नाम.........................

कार्यालय की सील, आवक क्रमांक सहित

प्रारूप "ब"

<u>अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना</u>

घोषणा–पत्र

हम पति–पत्नि, जिन्होंने कि अस्पृश्यता निवारणार्थ अन्तर्जातीय विवाह किया है, सहर्ष घोषणा करते है कि हमने जिस आदर्श से प्रेरित होकर अन्तर्जातीय विवाह किया है, हम उस आदर्श से पीछे नहीं हटेंगे।

हस्ताक्षर...

पूरा नाम (श्रीमती)...

दिनांक...

वर्तमान पूरा पता

....

हस्ताक्षर...

पूरा नाम (श्री).....................................

दिनांक...

वर्तमान पूरा पता

....

साक्षी के हस्ताक्षर...

पूरा नाम ....

पूरा पता...

....

सक्षम में हस्ताक्षरित व स्वीकार कर्ता के प्रति हस्ताक्षर

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला..........